कार्यालय– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

संख्याः– 2868 /12–1 देहरादूनःदिनॉक 29 मई 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषय :– जनपद–पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.95 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–**FP/UK/ROAD/66802/2020**)

सन्दर्भ :– वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्र संख्या 2791/12–1(2) दिनांक 30.04.2025 एवं आपकी पत्र संख्या 6395/12–1 दिनांक 16–04–2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में इस कार्यालय द्वारा निर्गत आपत्ति का निराकरण कर सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। प्राप्त सूचना के परीक्षणोंपरान्त प्रस्ताव में अभी भी निम्न आपत्तियां दृष्टिगत हो रही हैं, जिनका निराकरण किया जाना अति आवश्यक है। प्रस्ताव में इंगित कमियां निम्नानुसार हैं:–

1. प्रस्ताव में विषयसूची संलग्न नहीं है, प्रस्ताव पर पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये विषयसूची प्रस्ताव के प्रारम्भ में संलग्न की जानी अपेक्षित है।
2. उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित सूचना/प्रपत्रों को प्रस्ताव में संलग्न विषय सूची अनुसार यथोचित स्थान पर चस्पा/संलग्न किया जाय तथा साथ ही ऑनलाईन भी अपलोड किया जाय।
3. भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन वर्तमान में प्रचलित नई दरों अनुसार आंकलित कर प्रस्ताव में संलग्नक की जानी अपेक्षित है।
4. 100 वृक्षों के वृक्षारोपण की दस वर्षीय वृक्षारोपण योजना नई प्रचलित दरों वित्तीय वर्ष 2025–26 अनुसार तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न की जानी अपेक्षित है।
5. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–FC-11/43/2021-FC दिनांक 16.01.2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :–

   a. In respect of linear projects, the stiuplated norms of 2% and 0.5% towards the cost of Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan, as provided in the Ministry's guideline dated 08-06-2022, will be proportionate to the extenet of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans, whichever is more, should be charged from the user agency.

   b. The provisions of of Wildlife Management Plan or Soil Moisture Conservation Plan shall be approved by the compentent authority in the State and accordingly, the deficit amount, if any, from the money already realized from to the tune of 2% and / or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved, shall be paid by the user agency, and the same shall be deposited in to the CAMPA account.

   उक्तानुसार Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan तैयार कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्ताव के साथ संलग्न/अपलोड़ किया जाए।
6. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये निर्देश के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मलवा निस्तारण स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि परियोजना से उत्सर्जित होने वाले मलवे का तकनीकी एवं सुव्यवस्थित ढंग से स्थिरीकरण किया जाये ताकि प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जा सके। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मलवा निस्तारण स्थल की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अपनी पूर्ण संस्तुति सहित SIR के साथ प्रस्ताव में संलग्न करते हुये ऑनलाईन पार्ट–II में यथास्थान अपलोड की जाय।
7. प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रस्तावक विभाग के द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में लगाया जाय कि मलवा निस्तारण स्थल के वृक्षों का पातन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

8. मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात् क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मलवे को इस प्रकार सुव्यवस्थित ढंग से स्थिरीकरण किया जाये कि प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जा सके।
9. डम्पिंग यार्ड को पब्लिक यूटिलिटि के लिये उपयोग में लाया जायेगा।
10. मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल के स्लोप को बेंचेस में इस प्रकार विभाजित किया जाये की वह Stabilized हो जाये ताकि भविष्य में उक्त स्थल में पौधा रोपण करने में सुविधा हो।
11. प्रस्तावक विभाग को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि पर गंदगी नहीं फेंकी जाएगी।
12. प्रभागीय वनाधिकारी के SIR में प्रस्ताव का विवरण शामिल नहीं है। प्रभागीय वनाधिकारी की एस0आई0आर संलग्न प्रारूप में तैयार कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड़ कर प्रस्ताव में संलग्न करें। **(प्रति संलग्न)**
13. परियोजना निर्माण से कोई जल स्रोत प्रभावित न होने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।
14. प्रस्तावित परियोजना के समरेखण के आस–पास वन्यजीव/वास स्थल का विवरण।

अतः उपरोक्त विवेचना के अनुसार प्रस्ताव में जो कमियॉ पाई गयी हैं समस्त इंगित कमियों/सूचनाओं का का उ Parivesh Portal पर पार्ट–। एवं पार्ट–।। में यथास्थान संशोधन करने के उपरान्त पार्ट–। एवं पार्ट–।। के अतिरिक्त सू (Additional Information) में प्रश्न–उत्तरवार/बिन्दुवार आख्या अपनी पूर्ण संस्तुति के साथ अपलोड़ करते हुये हार्ड प्रति में प्रकरण इस कार्यालय को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या 2868 /12–1 तद्‌दिनांकित।

1. **प्रतिलिपि** :–वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को उपरोक्त विषयक के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. **प्रतिलिपि** :–अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट को उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कमियों के पूर्णतः निराकरण हेतु प्रस्ताव की हार्ड प्रति इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर उक्त कमियों का निराकरण कर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।